पत्र संख्या : 7ब / 4701 यो०ज०सं०–11 / 14 ....145..........

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी॰के॰ त्रिपाठी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 18-12-14

विषय :– माँग संख्या– 49 –जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–62–मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014–2015 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग / 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80–सामान्य	796– जन– जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 62 –मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796620545	**151.00**

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ एक्यावन लाख मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–15 के **बजट उपबंध रू 1600.00 लाख (सोलह करोड)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट 1 के स्तंभ 6 मे वर्णित) स्वीकृत कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–2 में वर्णित कार्यों हेतु किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है।** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट **(http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(बी॰के॰ त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 145 रॉची, दिनांक :– 18-12-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉंची/देवघर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(बी॰के॰ त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 145 रॉची, दिनांक :– 18-12-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)	**(बी॰के॰ त्रिपाठी)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**अपर मुख्य सचिव**

विभागीय पत्रांक......145...... दिनांक ......18-12-14...... का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष –62–मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796620545
वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट उपबंध **1600.00 लाख (सोलह करोड़)** मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पुनासी स्पीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर–देवघर (DGRCMMF48)	देवघर	पुनासी जलाशय योजना	18582.00	1191/17.10.1998	15993.00	1.50	101.00	102.50	**80415**	आवंटित राशि परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्यो के लिए
2	सिंचाई प्रमंण्डल, जसीडीह शिविर–देवघर (DGRCMMF77)						132.50	50.00	182.50	**80416**	
						कुल	**134.00**	**151.00**	**285.00**		

आवंटित राशि –₹ एक करोड़ एक्यावन लाख मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰के॰ त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 145 दिनांक 18-12-14 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 2

विपत्र कोड 49P470180796620545

क्र॰	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण		पूर्व का आबंटन	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4		5	6	7	8
1	पुनासी स्पीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर–देवघर	पुनासी जलाशय योजना	**C-Works**					
			i	Payment of soil test/Geo-Tech. Investigation/Advice and Report from G.S.I. for Punasi Spillway	1.50	0.00	1.50	
			ii	Construction of Spill Channel of Punasi Reservoir Scheme	0.00	100.00	100.00	
			iii	Preparation of Revised DPR of Punasi Reservoir Scheme	0.00	1.00	1.00	
				Total	**1.50**	**101.00**	**102.50**	
2	सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह शिविर–देवघर	पुनासी जलाशय योजना	**"A" Preliminary**					
			i	Survey for preparationof land Acquision Plan of PMC from ch. 1414.50 to ch. 2365.00	2.00	0.00	2.00	
			B-Land					
			i	Land Acqusition for Nawadih Disty. From ch. 435/438 (R) of P.M.C	50.00	0.00	50.00	
			G-Bridges					
			i	S.L.R. Bridge at chain 205/211 of P.M.C (Ag. No 4F2/13-14)	10.00	0.00	10.00	
			L-Earthwork					
			i	Residual E/W in P.M.C from chain 5 to 37 P.M.C (Ag. No- 2F2/13-14 dt. 10.06.13)	10.00	0.00	10.00	
			ii	Residual E/W in P.M.C from chain 145 to 272 (Ag. No- 1SBD/13-14, dt 27.09.13)	30.00	20.00	50.00	
			iii	Residual E/W in P.M.C from chain 375 to 499 (Ag. No- 3F2/13-14, dt 03.09.13)	30.00	0.00	30.00	
			iv	Residual E/W in P.M.C. from chain 1370 to 1414.50	0.00	30.00	30.00	
			O-Misecellaneous					
			i	R.M to I/V BRL 5846	0.50	0.00	0.50	
				Total	**132.50**	**50.00**	**182.50**	
				Grand Total	**134.00**	**151.00**	**285.00**	

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ एक्यावन लाख मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰के॰ त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव